न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापु

फर्द अहकाम

11/6/24

मु0न0:– 46/2022

उनवान:– शिवचरण बनाम नाहरसिंह वगै0

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे गैरसायल न0 2 के पिता व अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड खातेदार है। वर्णित आराजीयात का मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है वर्णित आराजीया तमे सायल के पिता रज्जू, एवं इसके भाई सूरजमल, रामप्रसाद रहे है जो प्रत्येक 1/3–'1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे है। जबरदस्ती गैरसायलान द्वारा सायलान के हिस्से की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.05.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाकर गैरसायला को पाबन्द फरमाया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम गढीबाढ की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 29 मे 1/3 हिस्से का तथा खाता न0 30 मे 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे दावे के प्रतिवादीगण व गैरसायलान के पूर्वज जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान व उनके वकील को लगभग 18 माह का समय जबाब के लिये दिया गया लेकिन जबाब पेश नही किया। और दिनांक 06.02.2024 को अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात व गैरसायलान द्वारा जबाब पेश नही करने से, तथा एक पक्षीय कार्यवाही किय जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.05.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गढी बाड की आराजी ख0न0 41/377, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 77/378, 77/379, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90/350, 91, 92, 93, 90 मे सायल के हिस्से मे दर्ज भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:50 IST
Reason: SelfAttested